कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

पत्रांक 138 /पटना, दिनांक 12.01.17
07/नि0 (विधि–12) विविध – 26/2015

प्रेषक,

नरेन्द्र प्रसाद मण्डल भा0प्र0से0
निबंधक, सहयोग समितियाँ
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

विषय :– बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के क्षेत्रस्तरीय संगठनों (Area Level Organisations) का प्रस्तावित मॉडल उपविधियों पर सहमति के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 04/NULM/25/16/2620 दिनांक 26.11.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि दीन दयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित महिला स्वयं सहायता समूह के क्षेत्रस्तरीय संगठनों के निबंधन हेतु बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 के प्रावधानान्तर्गत उपविधियाँ विधिवत् तैयार कर आपको इस कार्यालय के पत्रांक 9293 दिनांक 08.11.2016 के द्वारा उपलब्ध करायी गई थी, जिसके समीक्षोपरांत आपके स्तर से उक्त उपविधियाँको अनुकूल पाए जाने की सहमति पत्रांक 2620 दिनांक 26.11.2016 के द्वारा दी गई है।

अतः प्राथमिक महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि0 के निबंधनार्थ मॉडल उपविधियाँ की प्रति आपके स्तर पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अनुलग्नक – यथोपरि।

विश्वासभाजन

(नरेन्द्र प्रसाद मण्डल)
निबंधक, सहयोग समितियाँ
बिहार, पटना।

.....महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि0,..... की उपविधियॉ

(बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (बिहार अधिनियम.2.1997) के अन्तर्गत निबंधित)

1. नाम : यह सहकारी समिति, जो बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम 1996 (बिहार अधिनियम.2.1997) के अधीन निबंधित है, ...महिला स्वावलम्बी सहकारी समिति लि0,..... कहलाएगी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद "..... Mahila Development Self- Supporting Co- Operative society Ltd ..... होगा और इसे आगे "समिति" के नाम से जाना जायेगा।

2. पता : 1. समिति का निबंधित कार्यालय .....
.....में अवस्थित होगा।

   2. यदि निबंधित पता में कोई परिवर्तन होता है तो वैसी दशा में पता परिवर्तन के 15 (पन्द्रह) दिनो के अन्दर इसकी सूचना स्वावलम्बी सहकारी समितियों के निबंधक, संबंधित संघ एवं वित्तीय संस्थाओं को भेज दी जायेगी ।

3. कार्यक्षेत्र :– इस समिति का कार्यक्षेत्र .....
..... सीमित रहेगा।

4. उद्देश्यः–

समिति का उद्देश्य अपने सदस्यो के बीच पारस्परिक सहायता, जनतंत्र एवं स्वावलंबन पर आधारित प्रभावकारी वित्तीय सेवा सुविधा के माध्यम से अपने सदस्यो के सामाजिक एवं आर्थिक सुधार लाना है ।

समिति अपने सदस्यों के बीच पारस्परिक, सहायता, मितव्ययिता एवं स्वावलंबन के भाव पैदा करेगी तथा अपने सदस्यो के हित साधन के लिए आवश्यक वित्त प्रदान करेगी। समिति स्वयं तथा उस क्षेत्र में कार्यरत अन्य संगठनों द्वारा किए जाने वाले कार्यो में समन्वय स्थापित करेगी तथा आवश्यकतानुसार उन संगठनों के अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगी ।

5. सहकारिता के सिद्धांत :–

(क) इस सहकारी समिति की सदस्यता स्वैच्छिक होगी और वैसे सभी व्यक्तियों को बिना किसी समाजिक, राजनीतिक, जातीय या धार्मिक भेद–भाव के उपलब्ध होगी, जो इसकी सेवा का उपयोग कर सकते हैं, और सदस्यता की जिम्मेदारी स्वीकार करने को इच्छुक हों।

(ख) यह सहकारी समिति एक लोकतांत्रिक संगठन है। इसके कार्यकलाप का प्रबंधन इसके सदस्यों द्वारा तय की गई रीति से निर्वाचित या नियुक्त एवं उनके प्रति उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा। इस समिति के सदस्य समान मताधिकार

(एक सदस्य एक मत) का उपयोग करेंगे और इस सहकारी समिति, जिसका वे सदस्य हैं, पर प्रभाव डालने वाले निर्णयों में उनकी समान भागीदारी होगी।

(ग) इस सहकारी समिति के संचालन से प्राप्त आर्थिक लाभ इस सहकारी समिति के सदस्यों का होगा और इसका वितरण ऐसे रीति से किया जाएगा, जिससे कि दूसरे सदस्यों की कीमत पर किसी एक सदस्य द्वारा लाभ उठाना परिवर्जित हो सके, जिसे :–

- सहकारी समिति के कारोबार के विकास करने का उपबंध करके,
- सामुहिक सेवाओं का उपबंध करके,
- अंशधारियों को लाभांश वितरण के अतिरिक्त, सदस्यों के बीच सहकारी समिति के साथउनके संव्यवहारों के अनुपात में वितरण करके प्राप्त किया जायेगा।

(घ) सहकारी समिति सहकारिता के आर्थिक एवं लोकतांत्रिक सिद्धांतो एवं तकनीकों में अपने सदस्यों, पदधारियों और कर्मचारियों तथा जन–सामान्य को शिक्षित करने का उपबंध करेगी ।

(ड) यह सहकारी समिति अपने सदस्यों एवं अपने समुदायों की हितों की सर्वोतम सेवा करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य सहकारिताओं के साथ हरेक व्यवहारिक रीति से सक्रिय रूप से सहयोग करेगी, जिससे कि विश्व भर में सहकारियों द्वारा कार्य की एकता संबंधित लक्ष्य की उपलब्धि हो सके ।

6. कार्य एवं सेवायें :–

i. सदस्यों के बीच बचत एवं ऋण की आदत को विकसित करने के लिए सभी तरह की सुविधाओं के लिए प्रयास करना एवं प्रोत्साहित करना।

ii. सदस्यों को सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों से जोड़ना और उसे क्रियान्वित करना।

iii. सदस्यों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक वित्तीय और गैर वित्तीय कार्यक्रमों/स्कीमो/ परियोजनाओं को लागू करना एवं वित्तीय तथा तकनीकी परामर्श देना।

iv. सहकारी समिति को लाभ पहुँचाने के लिए और उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हिस्सा पूंजी, अतिरेक कोष, जमा निधि, सुरक्षित निधि, स्थायी और अस्थायी संपत्ति को निवेश करना।

v. अपने क्षेत्र में रहनेवाली गरीब महिलाओं के लिये स्वावलंबी समूहो को संगठित करना तथा उनके लिए शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना।

7. सदस्यता प्राप्त करने की पात्रता :–

ऐसी महिला जो,

(क) कम से कम 18 वर्ष की हो तथा समिति के कार्यक्षेत्र की निवासी हो ।

(ख) दीन दयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य हो।

(ग) समिति का कम से कम एक या अधिक शेयर खरीदने के लिए तत्पर हो।

(घ) अधिनियम की निर्धारित शर्तें पूरी करती हो।

(ड.) सदस्य संबंधी कर्तव्यों का पालन करने हेतु तत्पर हो ।

8. <u>कोई महिलाविकास समिति का सदस्य होने योग्य नही होगी, यदि वह</u> :–

(क) 18 वर्ष से कम उम्र की हो।

(ख) दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित महिला स्वयं सहायता समुह की सदस्य नहीं हो।

(ग) पागल हो।

(घ) समिति या सम्बंद्ध समिति/संघ/परिसंघ का वेतन भोगी कर्मचारी हो।

(ड.) दिवालिया हो ।

(च) राजनीतिक अपराध छोड़कर किसी दूसरे अपराध में सजायाफ्ता हो, तथा

(छ) अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार समिति का सदस्य होने में अयोग्य हों।

9. <u>सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया</u> :–

(क) कोई भी महिला जो उपविधि –7 के अनुसार सदस्य बनने का पात्र हो, जो निबंधन के लिए प्रर्वतक सदस्यों में शामिल हो और जिसने 10/– रू0 प्रवेश शुल्क दिया हो एवं कम से कम एक शेयर खरीदा हो, समिति का सदस्य होगी।

(ख) इसके अलावे, उपविधि –7 के अनुसार सदस्यता के पात्र व्यक्ति इन उपविधियों के अनुसार निम्नांकित शर्तो एवं प्रक्रिया के अधीन सदस्य बनाये जा सकेगें :–

1. आवेदिका को समिति की सेवा की आवश्यकता हो तथा सदस्यता की जिम्मेदारी स्वीकार करती हो तथा समिति के दो सदस्य उसकी पहचान करते हों ।
2. उपविधि –7 के अनुसार पात्र किसी भी महिला को सदस्य बनाया जा सकेगा, किन्तु एक परिवार से एक ही महिला सदस्य हो सकेंगी।
3. सदस्यता एवं हिस्से के आवंटन के लिए आवेदन पत्र समिति के मुख्य कार्यपालक को रूपये 10/–(दस रूपये) के प्रवेश शुल्क के साथ निदेशक पर्षद द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिया जाना अनिवार्य होगा।
4. समिति, बिना पर्याप्त कारण के ऐसी कोई महिला, जो उपविधियों के अधीन सदस्यता के लिए सम्यक रूप से योग्य हो, को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगी। जहाँ इस तरह प्रवेश देना इंकार किया जाय वहाँ तत्संबंधी कारणों सहित इस आशय के विनिश्चय की सूचना ऐसे आवेदिका को निर्णय की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर अथवा सदस्यता आवेदन की तारीख से तीस दिनो के भीतर, जो भी पहले हो, दी जायेगी।

परंतु यह कि यदि उपर्युक्त निर्धारित अवधि के भीतर ऐसा विनिश्चय संसूचित नहीं किया जाता हो तो वह महिला समिति के एक सदस्य के रूप में सम्मिलित की गई समझी जायेगी।

5. निदेशक पर्षद द्वारा सदस्यता में शामिल करना स्वीकृत करने के बाद तत्संबंधी संसूचन की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर आवेदिका को एक शेयर का मूल्य जमा कर देना होगा।
6. जहाँ किसी महिला को सदस्यता देने से निदेशक पर्षद द्वारा इंकार कर दिया गया हो, वहाँ निदेशक पर्षद के विनिश्चय के विरूद्ध ऐसे विनिश्चय के संसूचन के 30 दिनों के अन्दर समिति की सामान्य निकाय में अपील की जा सकेगी।
7. सामान्य निकाय के विनिश्चय से व्यथित कोई आवेदिका सामान्य निकाय के विनिश्चय के संसूचन के 60 दिनों के अंदर सहकारी अधिकरण के समक्ष पुनरीक्षण (रिवीजन) आवेदन दाखिल कर सकेगी।
8. सदस्य के रूप में सम्मिलित की गयी कोई भी महिला सदस्यता के अधिकारों, जिसमें मताधिकार भी शामिल हैं, का प्रयोग उपविधियों में समय–समय पर यथा अधिकथित शर्तों को पूरा करने पर ही कर सकेगी।
9. परंतु यह कि कोई सदस्य कम–से–कम 1 वर्ष तक सदस्य बने रहने के बाद ही मताधिकार का प्रयोग करने का पात्र होगा।
10. परंतु यह और कि उपर्युक्त समिति के निबंधन के प्रथम वर्ष में प्रर्वतक सदस्य पर लागू नहीं होगा।

10. <u>सदस्य के रूप में बने रहने की शर्ते</u> :–

सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निम्नांकित शर्तो का पालन सदस्य को करना होगा –

(क) समिति का कार्यक्षेत्र मे निवास रखना होगा।

(ख) सदस्यता की पात्रता बनाये रखना होगा।

(ग) समिति की उपविधियॉ में निर्धारित शर्तों, रेगुलेशन का पालन करना होगा।

(घ) ऐसे काम या कार्यवाही से परहेज करना, जिससे समिति की बदनामी हों।

(ड) सदस्यता की जिम्मेदारी निभानी होगी।

(च) उपविधि संख्या–14 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम वार्षिक कार्य संपन्न करना होगा।

11. <u>सदस्यता वापसी/अंतरण की प्रक्रिया</u> :–

(1) कोई भी सदस्य निदेशक पर्षद के समक्ष सदस्यता से त्याग पत्र प्रस्तुत कर सकती हैं। त्याग –पत्र निदेशक पर्षद की स्वीकृति के बाद संसूचन की तिथि से प्रभावी होगा।

परंतु कोई भी सदस्य यदि वह–

(क) समिति की ऋणी हो,

(ख) किसी सदस्य की प्रतिभू (Surety) हो, जिसने समिति से ऋण लिया हो, सदस्यता से त्याग–पत्र देने का हकदार नही होगी। यदि ऐसी सदस्य त्याग–पत्र देती है तो वह अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(ग) यदि कोई सदस्य समिति की ऋणी रहते हुए त्याग–पत्र देती है और उसका त्याग–पत्र इस कारण स्वीकृत नहीं होता है तो ऐसे सदस्य के जिम्में बकायों की वसूली जमानतदार से की जायेगी । समिति के सदस्य अपने सामाजिक प्रभाव का उपयोग करके वसूली सुनिश्चित करेंगे।

(घ) कोई भी सदस्य पाँच वर्ष तक समिति का सदस्य रहने के बाद अपनी सदस्यता किसी ऐसे व्यक्ति को अंतरित कर सकेगी, जो सदस्यता के लिए इन उपविधियों के अनुसार पात्र हो, किंतु ऐसा अंतरण तब तक संपन्न हुआ नहीं समझा जायेगा, जबतक कि :–

1. सदस्य अपने शेयर या शेयरों को भी अंतरित न कर दें।
2. निदेशक पर्षद का अनुमोदन नहीं प्राप्त हो जाय,
3. अंतरित (Transferee) सदस्य का नाम सदस्यता/शेयर पूंजी बही में अंतरण करने वाली सदस्य के नाम के स्थान पर दर्ज नहींकर लिया जाय।

12. <u>सदस्यता के पर्यवसित (Termination) और अस्तित्वहीन (Cease)होने की प्रक्रिया</u> :–

(1) समिति की निदेशक पर्षद, खुली जॉच के बाद, किसी सदस्य पर जुर्माना कर सकेगी, उसे मुअत्तल कर सकेगी या उसे समिति से निष्कासित कर सकेगी, यदि यह पाया जाय कि उसने :–

(क) समिति की पात्रता खो दी है,

(ख) समिति की उपविधियॉ, रेगुलेशन और शर्तों का घोर उल्लंघन किया है,

(ग) समिति के कार्यक्षेत्र से अपना निवास हटा लिया है,

(घ) कोई ऐसा काम भी है, जो निदेशक पर्षद के विचार में अनुचित हो या समिति की आर्थिक स्थिति को कमजोर बनाने वाला हो या समिति को बदनाम करने वाला हो ।

(ड) जुर्माना, मुअत्तली तथा निष्कासन के सभी मामले संपुष्टि के लिए सामान्य निकाय की अगली सभा में रखें जायेंगें । मुअत्तली की अवधि में किसी सदस्य को सदस्यता संबंधी किसी अधिकार का प्रयोग नही करने दिया जायेगा और न उसे कोई लाभांश ही मिलेगा। सामान्य निकाय की संपुष्टि की संसूचना की प्राप्ति के 30 दिनो के अंदर ऐसी सदस्य सहकारी अधिकरण के समक्ष अपील कर सकेगी।

(2) कोई भी सदस्य निम्न दशाओं में सदस्य नही रहेगी :–

(क) निष्कासित कर दिये जाने पर,

(ख) दिवालिया होने पर,

(ग) मृत्यु हो जाने पर,

(घ) पागल हो जाने पर,

(ड) त्याग–पत्र की स्वीकृति हो जाने पर।

(3) सदस्यता की समाप्ति की दशा में उस सदस्य द्वारा भुगतान की गई शेयर की रकम, पावने (यदि कोई हो) के समंजन के उपरांत सदस्यता की समाप्ति संबंधी स्वीकृति के संसूचन के छः

माह के भीतर वापस कर दी जायेगी । सदस्य की मृत्यु की दशा में समिति की पूंजी में निहित उसके शेयर या हित का अंतरण उसके द्वारा मनोनित महिला/व्यक्ति को किया जायेगा। यदि कोई महिला/व्यक्ति मनोनित नहीं किया गया हो, तो सदस्य के वैध उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को ऐसी राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

13. **सदस्यों का अधिकार** :–

सभी सदस्यों को निम्नांकित अधिकार होंगें, किंतु इन अधिकारों का प्रयोग वे उपविधि संख्या–14 में निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर कर सकेंगी :–

(क) उपविधियॉ में निहित प्रावधानों तथा निदेशक पर्षद द्वारा समय–समय पर विनिश्चित शर्तो/सन्नियमों के अध्यधीन, समिति का कम से कम एक वर्ष तक सदस्य बने रहने के बाद, किसी सदस्य को मताधिकार प्राप्त होगा। परन्तु प्रर्वतक सदस्यों को प्रारम्भ से ही मताधिकार प्राप्त रहेगा।

(ख) सदस्यों को किसी भी प्रस्ताव के विपक्ष में विचार अभिव्यक्त करने का पूरा अधिकार होगा और उसके विचार कार्यवाही में स्पष्ट रूप में उल्लेखित किये जायेंगें ।

(ग) प्रत्येक सदस्य को यदि वह अन्यथा अयोग्य न हो, निदेशक पर्षद के निर्वाचन में प्रत्याशी बनने का अधिकार होगा।

(घ) प्रत्येक सदस्य को उसके द्वारा खरीदे गये शेयर के अनुपात में समिति के शुद्ध लाभ में से, इन उपविधियों के अनुसार लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(ड) प्रत्येक सदस्य समिति के मोहर से युक्त एक ऐसे प्रमाण–पत्र को प्राप्त करने की अधिकारी होगी, जिसमें उसके द्वारा लिये गये शेयर का उल्लेख रहेगा और यदि वह प्रमाण–पत्र खो जाय अथवा बहुत पुरानी हो जाय तो रू0 10/– देने पर उसका नवीकरण हो सकेगा।

(च) बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम,1996 की एक प्रति और इन उपविधियॉ की एक प्रति कार्यालय अवधि में प्रत्येक कार्य दिवस को सदस्य के अवलोकनार्थ समिति कार्यालय में उपलब्ध रखी जायेगी और किसी सदस्य द्वारा उसके अवलोकन की मॉग किये जाने पर तुरंत उपलब्ध करायी जायेगी।

(छ) समिति के प्रत्येक सदस्य की, सदस्य के साथ अपने कारबार के नियमित संव्यवहार में रखे गये सहकारी समिति की बही, सूचना और लेखा तक पहुॅच की व्यवस्था करेगी।

(ज) समिति के प्रत्येक सदस्य की समिति में संधारित अभिलेखों, सूचनाओं तथा व्यवसाय से संबंधित नियमित संव्यवहारो की लेखाओं की संबंध में सभी जानकारी/कागजात प्राप्त करने का अधिकार होगा। समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/प्रबंधक सदस्यों को सभी जानकारी/कागजातों तक पहुॅच सुनिश्चित करेगें।

(झ) समिति के सदस्यों को इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली या उपविधियों में विहित प्रावधानों के अधीन सहकारी शिक्षा तथा सहकारिता संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(ञ) उपविधि–6 के अनुसार सेवायें एवं अधिनियम में यथाविहित सूचनायें एवं सहकारी शिक्षा/प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक सदस्य को होगा।

14. सदस्य के लिए अपेक्षित न्यूनत्तम वार्षिक कार्य :–

सेवाओं के उपयोग, वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सभाओं के भागीदारी के आलोक में मताधिकार सहित सदस्यता के अधिकारो का प्रयोग करने हेतु प्रत्येक सदस्य को :–

1. सामान्य निकाय/निदेशक पर्षद द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यो का सम्पादन करना होगा।
2. मासिक बैठकों तथा वार्षिक एवं अन्य आम सभाओं में प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से भाग लेना होगा।
3. प्रत्येक सदस्य को बचत ऋण ,किस्त एव सूद का भुगतान नियमित रूप से करना होगा।
4. सामान्य निकाय या निदेशक पर्षद द्वारा समय समय पर निर्धारित अन्य कर्तव्यों/दायित्वों का पालन करना होगा।

15. किसी सदस्य के जिम्मे बकाया राशि के भुगतान में व्यतिक्रम के परिणाम :–

1. उपविधि–11 के अनुसार आवंटित शेयर या शेयरो की रकम निर्धारित अवधि के अंदर जमा नहीं करने पर एवं ऋण का किस्त लगातार तीन माह तक नहीं देने पर समिति की सदस्य समिति के सेवाओं का उपयोग करने , वित्तीय प्रतिबद्धता का लाभ उठाने तथा सभाओं में भागीदारी सहित मताधिकार का प्रयोग करने के लिए हकदार नहीं होगी।
2. किसी सदस्य के जिम्मे समिति का ऋण या कोई अन्य बकाया रकम के भुगतान में डिफाल्टर /व्यतिक्रम होने पर वह सदस्य निदेशक पर्षद के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार बनने एवं मतदान करने एवं किसी उपसमिति का सदस्य बनने के लिए योग्य नही रहेगी।
3. ऋण के जमानतदार से ऋण की अधिशेष रकम (सूद सहित) वसूली जायेगी।

16. समिति की पूँजी, उसकी प्रकृति और रकम :–

समिति की प्राधिकृत हिस्सा–पूँजी (शेयर कैपिटल) रू0 1,00,000/–(एक लाख रूपये) की होगी, जो 10/रू0 (दस रूपये) प्रति शेयर के हिसाव से 10,000 (दस हजार) शेयरों में विभक्त रहेगी ।

प्राधिकृत हिस्सा पूँजी, शेयरों की संख्या एवं एक शेयर के मूल्य में वृद्धि या कमी सामान्य निकाय के संकल्प द्वारा की जा सकेगी। परंतु ऐसा संकल्प उपविधियों का संशोधन होगा, इसलिए इसे लागूकरने के पूर्व उपविधियॉ में संशोधन का निबंधन कराना आवश्यक होगा।

17. किसी एक सदस्य द्वारा अभिदाय की जा सकने वाली अधिकतम पूँजी :–

किसी भी सदस्य को व्यक्तिगत रूप से कुल प्रदत्त हिस्सा पूंजी के 1/10 वें भाग से अधिक हिस्सा धारण नहीं करने दिया जायेगा।

18. समिति द्वारा लिए गए ऋणों के संबंध में दायित्वों की प्रकृति और मात्रा :–

1. समिति द्वारा संविदित ऋणों के संबंध में सदस्य का दायित्व उसके द्वारा लिये गये शेयरों के अंकित मूल्य तीन गुणा तक ही सीमित रहेगा।

2. समिति द्वारा संविदित ऋणों के संबंध में किसी पूर्व सदस्य की या किसी मृत सदस्य की भू– सम्पदा का दायित्व उसकी सदस्यता के समाप्त होने या मृत्यु की तारीख से दो वर्षो तक रहेगा।

19. <u>समिति द्वारा जुटाई जानेवाली निधियों के श्रोत एवं प्रकार</u> :–

अपने कार्यो के लिए समिति निम्न प्रकार से निधि एकत्र कर सकेगी :–

(क) प्रवेश शुल्क से,

(ख) सदस्यों से हिस्सा वसूल करके,

(ग) सदस्यों से नियमित बचत वसूल करके ,

(घ) सदस्यों के द्वारा जमा की गई रकम स्वीकार कर,

(ड) सदस्यों से ऋण लेकर,

(च) अनुदान, अर्थसहाय्य तथा दान से।

परंतु यह कि समिति के विघटन के समय अन्य को देय राशियों का निबटारा करने के बाद ही सदस्यों को देय राशियों का निबटारा किया जायेगा।

20. <u>किन–किन प्रयोजनों से निधियों का उपयोग किया जा सकेगा</u> :–

एकत्र की गई निधियों का उपयोग निम्नांकित प्रकार से किया जायेगा।

1. प्रवेश शुल्क की राशि , जिसमें से समिति गठित करने में हुए प्रारंभिक खर्च काट लिये जायेंगें, सांविधिक आरक्षित निधि में ले जायी जायेगी।
2. सभी शेयरों के मूल्य जिसका दावेदार कोई न हो और जिसे समिति ने जब्त कर लिया हो तथा नवीकरण शुल्क अथवा किसी अन्य के रूप में वसूली गयी कोई दूसरी राशि सांविधिक आरक्षित निधि में ले जायी जायेगी।
3. अन्य निधियॉ समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एवं सदस्यो को सेवाएं देने के प्रयोजनार्थ रखी जायेगी।

21. <u>किस सीमा तक और किन शर्तो के अधीन जमा राशियॉ ऋण तथा अन्य निधियों की उगाही की जा सकेगी</u> :–

समिति वाह्य श्रोतों से अनुदानों की प्राप्ति तथा उधार लेना उस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन कर सकेगी, जैसा कि वित्त प्रदायी संस्था या सरकार या व्यक्ति से करार पाया जाय। बाह्य श्रोतों से जुटायी गई जमा राशि एवं उधार, तथापि, कभी भी सदस्यों द्वारा प्रदत्त शेयर पूँजी और संगठनात्मक आरक्षित राशि घटाव संचित कमी, यदि कोई हो,के दस गुणा से अधिक नहीं होगा।

22. <u>किन शर्तो पर और किन प्रयोजनों के लिए राजकीय सहायता तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से सहायता मांगी और प्राप्त की जा सकेगी</u> :–

समिति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयोजनार्थ सरकार अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऐसे निर्बंधन एवं शर्तो पर निधियों/सहायता/गारंटी स्वीकार करेगी जैसा कि आपस में करार पाया

जाय। ऐसी शर्तो में सरकार अथवा अन्य वित्त पोषकों के निदेशक पर्षद में एक विशेषज्ञ को नाम–निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया जाना सम्मिलित हो सकेगा।

23. अधिशेष के निपटान की रीति :–

1. समिति किसी वर्ष में सदस्यों के साथ संव्यवहार से प्रोद्भूत, होने वाले अधिशेष से उस वर्ष में अपने सदस्यों को प्रश्रय रिवेट के रूप में पच्चीस प्रतिशत तक की रकम का आस्थगित भुगतान तथा अपने सदस्यो को उनके शेयर के अनुसार शेयर पूँजी पर पन्द्रह प्रतिशत तक का लाभांश भुगतान करेगी।
2. सदस्यों से प्रोद्भूत शेष तथा अन्य के साथ संव्यवहार से प्रोद्भूत सम्पूर्ण अधिशेष का उपयोग निम्नलिखित रूप में किया जायेगा :–

(क) पच्चीस प्रतिशत से अन्यून सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित किया जायेगा।
(ख) बीस प्रतिशत से अन्यून अनवेक्षित हानि को पूरा करने के लिए आरक्षित में अंतरित किया जायेगा।
(ग) सहकारी संघ की सहकारिता शिक्षा निधि में तीन प्रतिशत अन्तरित किया जा सकेगा।
(घ) सामान्य निकाय के नियमानुकूल निर्णयानुसार कर्मचारियों को बोनस भुगतान किया जा सकेगा।
(ड) सामान्य हित निधि में पॉच प्रतिशत से अन्यून अन्तरित किया जा सकेगा जिसका प्रयोजन सामान्य निकाय द्वारा अनुमोदित हो।
(च) सहकारिता आंदोलन के विकास से संबंद्ध किसी प्रयोजन हेतु अभिदाय के रूप में पाँच प्रतिशत से अन्यून का भुगतान किया जा सकेगा।
(छ) शेष रकम सांविधिक आरक्षित निधि या किसी अन्य निधि या लाभ–हानि खाता मे जैसा कि सामान्य निकाय निश्चित करे,जमा कर दी जायेगी। यदि प्रश्रय रिबेट लाभांश आदि की निकासी उनकी स्वीकृति के बाद दो वर्ष के भीतर न की जाय तो उन्हें शेयर धारियों के खाते में जमा कर दिया जायेगा।

24. विभिन्न निधियों, आरक्षित निधियों का गठन और उनके प्रयोजन :–

1. सांविधिक आरक्षित निधि निम्नांकित से बनेगी :–
   (क) सदस्यों से प्रोदभूत शेष तथा अन्य के साथ संव्यवहार से प्रोद्भूत सम्पूर्ण अधिशेष की पच्चीस प्रतिशत राशि।
   (ख) समिति के गठन मे हुए प्रारंभिक खर्चो को काटकर प्रवेश शुल्क से प्राप्त राशि।
   (ग) सभी शेयरों के मूल्य जिसका कोई दावेदार न हों और जिसे समिति ने जब्त कर लिया हो तथा नवीकरण शुल्क अथवा किसी अन्य शुल्क के रूप में वसूली गई कोई दूसरी रकम।
2. सावंधिक आरक्षित निधि निम्न प्रयोजनों में से किसी के लिए उपयोग में लायी जा सकेगी :–
   (क) किसी अनवेक्षित परिस्थिति से उत्पन्न हानि की पूर्ति के लिए जो रकम निकाली जायेगी, उसकी प्रतिपूर्ति आगे होने वाले लाभ से कर दी जायेगी।
   (ख) समिति से की जानेवाली ऐसी मॉग पूरी करने के लिए जो अन्यथा पूरी नहीं की जा सकती हो। जब फिर तहसील, होगी, तो इस मद से ली गई रकम की प्रतिपूर्ति कर दी जायेगी।
   (ग) ऐसे किसी ऋण की प्रतिभूति के लिए जो समिति को लेना पड़े।
3. सामान्य हित निधि :–

(क) सामान्य हित निधि सदस्यों से प्रोद्भूत शेष तथा अन्य के साथ संव्यवहार से प्रोद्भूत सम्पूर्ण की पाँच प्रतिशत से अन्यून राशि से बनेगी।

(ख) इस निधि का उपयोग सदस्यों के सामान्य कल्याणार्थ सामान्य निकाय द्वारा विनिश्चित तरीके से किया जा सकेगा।

25. आमसभा और अन्य विशेष सभा बुलाने की रीति और उनकी गणपूर्ति :–

अधिनियम तथा इन उपविधियों के उपबंधो के अध्यधीन समिति का अंतिम प्राधिकार इसकी सामान्य निकाय में निहित होगा। सामान्य निकाय सहकारी समिति के सभी सदस्यों से बनेगी।समिति का बोर्ड, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, छः माह के भीतर वार्षिक आमसभा बुलायेगी, जिसमें बोर्ड के सदस्यों एवं उनके पदाधिकारियों के निर्वाचन को छोड़कर उप–विधि संख्या 27 के अधीन सभी अथवा किसी विषय पर विचार किया जायेगा। सामान्य निकाय की आमसभा दो प्रकार की होगी ।

1. वार्षिक आमसभा :– (क) निदेशक पर्षद के अनुमोदन से अध्यक्ष अथवा मुख्य कार्यपालक द्वारा आमसभा की सूचना नियत की गई तारीख समय और स्थान तथा उसमें संपादित होनेवाले कार्यो के उल्लेख सहित लिखित रूप में डाक प्रमाण–पत्र/कूरियर/स्थानीय सुपुदर्गी के अधीन, सभी शेयरधारियों को सभा की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व भेज दी जायेगी। डाक प्रमाण–पत्र/ कूरियर/स्थानीय सुपुदर्गी सूचना देने का निर्णायक साक्ष्य होगा।

(ख) समिति ऐसी वृतपुस्त रखेगी, जिसमें सभी आम सभाओं की कार्यवाहियों अभिलिखित की जायेगी। इस पुस्तक में उस सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का नाम तथा हस्ताक्षर रहेंगें और उस पर सभा के अध्यक्ष/सभापति तथा मुख्य कार्यपालक का हस्ताक्षर रहेगा। कार्यवाही की प्रतियॉ सभी सदस्यों के अवलोकनार्थ समिति कार्यालय में उपलब्ध रखी जायेगी।

(ग) आमसभा में कुल सदस्यों के 1/5 की गणपूर्ति होगी। गणपूर्ति पूरा नहीं होने की दशा में कम से कम एक सप्ताह के लिए सभा स्थगित कर दी जायेगी।यदि स्थगित दूसरी सभा में कोरम पूरा नहीं हो तो प्रथम सभा की प्रस्तावित कार्यवाही का निपटारा उपस्थित सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत से किया जा सकेगा।

(घ) प्रत्येक शेयरधारी को एक वोट देने का अधिकार होगा। प्रॉक्सी द्वारा मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी। सभी प्रश्नों पर बहुमत की ही राय मानी जायेगी और पक्षों के बराबर–बराबर वोट देने की दशा में अध्यक्ष को एक अतिरिक्त निर्णायक वोट देने का भी अधिकार होगा।

2. अध्यापेक्षित आमसभा :– समिति के सदस्यों के कम–कम दसवें भाग द्वारा हस्तक्षारित अध्यापेक्षा की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर निदेशक पर्षद अध्यापेक्षित आमसभा आहुत करेगा। ऐसी किसी अध्यापेक्षा (Requisition) में प्रस्तावित कार्य सूची और किन कारणों से सभा आवश्यक समझी गई, अन्तर्विष्ट होंगें। किन्तु इस सभा में निदेशकों के निर्वाचन संबंधी कार्य नहीं होगा। यदि इस सभा में गणपूर्ति नही हो तो सभा विघटित कर दी जायेगी।

26. वार्षिक आम–सभाओं की आवृत्ति :–

वार्षिक आमसभा प्रत्येक लेखा वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर अवश्य होगी।

27. सामान्य निकाय की भूमिका और सामान्य निकाय के समक्ष विचार हेतु रखे जाने वाले विषय :–

अधिनियम तथा इन उपविधियों के अध्यधीन समिति का अंतिम प्राधिकार समिति का सामान्य निकाय में निहित होगा। अधिनियम तथा इन उपविधियों के अध्यधीन सामान्य निकाय द्वारा निम्नलिखित मामलों का निपटारा किया जायेगाः–

1. निदेशक पर्षद के निदेशकों को हटाना और रिक्तियों को भरना।
2. निबंधक के पास दाखिले करने के लिए निदेशक पर्षद द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिर्पोट पर विचार ।
3. सांविधिक लेखा–परीक्षकों एवं आंतरिक लेखा–परीक्षकों की नियुक्ति एवं हटाया जाना ।
4. लेखा–परीक्षक की रिर्पोट और निबंधक के यहाँ दाखिल किये जाने के लिए लेखा–परीक्षित विवरण पर विचार ।
5. लेखा–परीक्षा/विशेष लेखा– परीक्षा अनुपालन रिर्पोट पर विचार ।
6. धारा 36 के अधीन जॉच रिर्पोट पर की गई कारवाई संबंधी रिर्पोट, यदि कोई हों ।
7. शुद्ध अधिशेष का निपटारा ।
8. संचालन घाटा, यदि कोई हो, का पुनर्विलोकन।
9. दीर्घकालीन महत्व की योजना और वार्षिक परिचालन योजना का अनुमोदन ।
10. वार्षिक बजट का अनुमोदन।
11. विनिर्दिष्ट आरक्षित एवं अन्य निधियों का सृजन।
12. आरक्षित एवं अन्य निधियों की वास्तविक उपयोगिता का पुनर्विलोकन।
13. अन्य सहकारी समितियों में समिति की सदस्यता के संबंध में रिर्पोट।
14. किसी समानुषंगी संगठन की वार्षिक रिर्पोट एवं लेखा का पुनर्विलोकन ।
15. सदस्यता के लिए जिस व्यक्ति का आवेदन स्वीकृत कर दिया गया हो अथवा जिसकी सदस्यता निदेशक पर्षद द्वारा समाप्त कर दी गई हो , उसकी अपील।
16. किसी निदेशक या आंतरिक लेखा–परीक्षक को उस हैसियत से अपने कर्त्तव्य के लिए देय पारिश्रमिक ।
17. उप–विधियों का संशोधन।
18. अन्य संगठनों के साथ सहयोग।
19. निदेशकों एवं पदधारियों के लिए आचार संहिता बनाना।
20. सदस्यों को सम्मिलित किये जाने एवं सदस्यता समाप्त किये जाने संबंधी टिप्पणी।
21. समिति का विघटन।
22. ऋण वित्तरण एवं वसूली के लिए निदेशक पर्षद द्वारा बनायी गयी ऋण नियमावली का अनुमोदन।
23. ऐसे अन्य कृत्य, जो उपविधियॉ में विनिर्दिष्ट हो।

28. उपविधियॉ संशोधन करने की रीति :–

1. सामान्य निकाय के मताधिकार प्राप्त उपस्थित सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा समिति की उपविधियॉ के किसी उपबंध को संशोधित किया जा सकेगा।

परंतु यह कि ऐसा कोई संकल्प तब तक पारित नहीं किया जायेगा,जब तक कि प्रस्तावित संशोधन की प्रति के साथ निकाय के प्रत्येक सदस्य को सभा के पूरे बीस दिन पूर्व लिखित नोटिस न दे दी गई हो तथा ऐसी नोटिस और प्रस्तावित संशोधन को सभा के तारीख के ठीक बीस दिनों की कालावधि तक सहकारी समिति के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित न किया गया हो।

2. संशोधन निबंधन के लिए आवेदन संकल्प पारित होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर निबंधक को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
3. आवेदन पर अध्यक्ष तथा निदेशक पर्षद के दो सदस्यों का हस्ताक्षर होगा और इसके साथ निम्नलिखित विशिष्टियॉ संलग्न की जायेगी
   (क) संशोधन को अंगीकार करने वाले संकल्प की प्रति ,
   (ख) जिस आमसभा में संशोधन अनुमोदित किया गया हो उसकी तारीख,
   (ग) आमसभा के लिए जारी की गई नोटिस की तारीख,
   (घ) ऐसी आमसभा की तारीख को समिति की नामावली में दर्ज सदस्यों की कुल संख्या जिन्हें मताधिकार प्राप्त हो ,
   (ड़) ऐसी आमसभा मे उपस्थित मताधिकार प्राप्त सदस्यों की संख्या, और
   (च) संकल्प के पक्ष में मतदान करनेवाले सदस्यों की संख्या।

29. <u>निर्वाचन की प्रक्रिया</u> :–

(क) समिति के बोर्ड के निर्वाचन के संचालन के लिए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 के अधीन गठित बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार जिम्मेवार होगी।

(ख) वर्हिगामी निदेशकों की अवधि की समाप्ति के पूर्व, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 तथा उसके अधीन बनी नियमावली तथा बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 तथा उसके अधीन बनी नियमावली के प्रावधानों के अधीन विनिर्दिष्ट रीति से बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्वाचन का संचालन किया जायेगा।

<u>निर्वाचन कराने में समिति के असफल रहने की दिशा में निर्वाचन प्रक्रिया</u> :–

1. यदि निदेशक पर्षद कार्यावधि की समाप्ति के पूर्व, निर्वाचन संचालित करने हेतु आवश्यक कदम नहीं उठाता है, अथवा, जहाँ, निदेशक पर्षद पर सदस्य बाकी नहीं बच गए हों, तो समिति के कुल सदस्यों के न्यूनतम पॉच प्रतिशत सदस्य निर्वाचन संचालन के प्रयोजन के लिए एक तदर्थ निदेशक पर्षद को नियुक्त करने के लिए, संयुक्त रुप से सदस्यों की एक आम सभा का आयोजन कर सकेंगे। परन्तु यह कि उक्त तदर्थ निदेशक पर्षद में निवर्त्तमान निदेशक पर्षद, जिसके निर्धारित कार्यकाल में निर्वाचन नहीं हो सका, शामिल नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार नियुक्त तदर्थ निदेशक पर्षद की अवधि तीन माह से अधिक की नहीं होगी तथा इसी अवधि में इसे नियमित निदेशक मंडल के गठन हेतु निर्वाचन संपन्न कराना आवश्यक होगा। तदर्थ निदेशक पर्षद उप–विधि–29 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर निर्वाचन सम्पन्न कराएगी।

2. यदि उप–विधि–30 के अनुसार तदर्थ बोर्ड/निदेशक पर्षद का गठन नहीं होता है तो समिति जिस परिसंघ से सम्बद्ध होगी उस परिसंघ का कर्त्तव्य होगा कि वह निबंधक को सूचित करे। परिसंघ द्वारा सूचित किए जाने पर अथवा परिसंघ यदि नहीं हो तो अन्य स्त्रोत से जानकारी प्राप्त होने पर निबंधक, स्वप्रेरणा से, निर्वाचन के संचालनार्थ विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए एक दूसरे तदर्थ निदेशक मंडल की नियुक्ति हेतु एक आमसभा बुला सकेगी। इस तदर्थ निदेशक पर्षद की कार्यावधि एक माह से अधिक नहीं होगी।

30. <u>निदेशक पर्षद का आकार और गठनः–</u>

1. समिति का प्रबंधन सामान्य निकाय द्वारा निर्वाचित 13 (तेरह) निदेशको के एक निदेशक पर्षद में निहित होगा।
2. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव एवं कोषाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित निदेशकों में से निदेशक पर्षद द्वारा किया जायेगा।
3. मुख्य कार्यपालक निदेशक पर्षद द्वारा नियुक्त किया जायेगा। वह निदेशक पर्षद का पदेन सदस्य होगा।
4. सभी निदेशक समिति के स्वच्छ एवं समुचित प्रबंधन के लिए जबाबदेह होंगें।
5. बोर्ड बैंकिग प्रबन्धन वित्त के क्षेत्र का अनुभव रखने वाले अथवा समिति द्वारा जिम्मा लिए गए उद्देश्यों और कार्यकलापों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों को सदस्य के रूप में सहयोजित करेगा।

परंतु इस प्रकार सहयोजित सदस्यों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी और यह बोर्ड की कुल संख्या के अतिरिक्त होगी ।

परंतु और कि ऐसे सहयोजित सदस्यों को सहकारी समिति के किसी निर्वाचन में ऐसे सदस्यों को अपनी हैसियत में मत देने का अधिकार नहीं होगा और न उन्हें बोर्ड के पदाधिकारी के रूप मे निर्वाचित होने के पात्र होने का अधिकार होगा।

परंतु यह और कि सहकारी समिति के कृत्यकारी निदेशक भी बोर्ड के सदस्य होंगें और ऐसे सदस्य निदेशकों की कुल संख्या की गणना के प्रयोजनार्थ अपवर्जित कियें जायेंगें ।

परंतु यह कि बोर्ड के कुल सदस्यों में 2 अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति, 2 अत्यंत पिछडा वर्ग एवं 2 पिछडा वर्ग के लिए स्थान आरक्षित होगा। परंतु यह और कि उपर्युक्त के अधीन आरक्षित स्थानो की कुल संख्या कुल स्थानो के पचास प्रतिशत से अनधिक होगा।

31. <u>निदेशक बनने की पात्रता</u> :–

1. कोई सदस्य निदेशक के रूप में चुने जाने के अपात्र होगा यदि :–

क. उसने सदस्य के रूप में किसी समय मताधिकार खो दिया हो ,या

ख. उपविधियों के प्रावधानुसार सदस्य नहीं रह जाय अथवा सदस्य बने रहने का अधिकार खो दिया है ।

ग. समिति से लिए गए किसी ऋण के किस्तो का किसी समय नियमित भुगतान नही किया हो अथवा लगातार तीन माह तक ऋण का किस्त जमा नही किया हो अथवा बकायेदार हो।

2. निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए किसी सदस्य के लिए यह आवश्यक होगा कि वह :–

क. निर्वाचन वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती में दो वर्षो तक मतदाता सदस्य बना रहा हो,

ख. सामान्य निकाय की निर्वाचन के ठीक पूर्ववर्ती दो सभाओं में भाग लिया हो

32. निदेशक के पद को प्रतिधारित करने की शर्तें :–

1. कोई व्यक्ति अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उपसचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक नहीं रह जायेगा, यदि वह :–

क. उपविधि 31 में यथाविनिर्दिष्ट किसी अयोग्यता से ग्रस्त हो जाता हो,

ख. निदेशक पर्षद की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थिति की इजाजत लिए बिना अनुपस्थित रहता हो, या

ग. सामान्य निकाय की लगातार किसी तीन सभाओं में अनुपस्थिति के इजाजत लिये बिना अनुपस्थित रहता हो, या

घ. बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अधीन दंडित किया गया हो।

2. निदेशक पर्षद के सभी निदेशक पॉच वर्षो की कालावधि के लिए निदेशक चुने जाने के लिए निरर्हताग्रस्त हो जायेंगें और निदेशक के रूप में बने रहने के अपात्र हो जायेगें, यदि समिति के निदेशक के रूप में अपनी अवधि के दौरान–

क. उपविधियॉ में अंकित समय के भीतर और अपनी पदावधि की समाप्ति से पहले निर्वाचन नही करायें, या

ख. लेखावर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर वार्षिक आमसभा अथवा सदस्यों द्वारा मांग की गई आमसभा नहीं करायें,या

ग. वार्षिक आमसभा के समक्ष लेखा–परिक्षकों की रिर्पोट के साथ विगत वर्ष की संपरीक्षित लेखा नही रखें ।

33. निदेशक पर्षद की कार्यावधि :–

निदेशक पर्षद की कार्यावधि निर्वाचन की तिथि से पॉच वर्षो की होगी, परंतु यह कि प्रथम निदेशक पर्षद की कार्यावधि समिति के निबंधन की तारीख से बारह माह से अधिक नहीं होगी ।

परंतु निदेशक पर्षद में किसी आकस्मिक रिक्ति को निदेशक पर्षद द्वारा उस वर्ग के सदस्यों से मनोनयन द्वारा भर सकेगा जिसके संबंध में आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हुई हो, यदि निदेशक पर्षद की अवधि इसकी मूल अवधि से आधी से कम बाकी हो।

परंतु यह और कि समिति के निर्वाचित निदेशक पर्षद में यदि मूल कार्यावधि से आधे से अधिक की कार्यावधि बाकी हो और निदेशक पर्षद में किसी कारणवश निर्वाचित सदस्यो एवं पदाधिकारियों का पद रिक्त हो जाए तो शेष अवधि के लिए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा उपनिर्वाचन से रिक्ति को भरा जायेगा।

34. निदेशक को हटाने तथा रिक्ति को भरने की प्रक्रिया :–

उपविधि 32(1) के प्रावधानों के आलोक में किसी निदेशक के अपने पद पर बने रहने के अयोग्य हो जाने की स्थिति मे उसे एक कारण बताओं नोटिस दी जायेगी। कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार सामान्य निकाय की आमसभा में किया जायेगा। उत्तर संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर

आमसभा के बहुमत से उसे हटाया जा सकेगा। ऐसी रिक्ति को भरने की प्रक्रिया उप–विधि 33 के अनुसार होगी।

35. निदेशक पर्षद की बैठक बुलाने की रीति और गणपूर्ति (कोरम) :–

1. निदेशक पर्षद की बैठकों की सूचना, नियत की गई तारीख, समय, स्थान तथा उसमें सम्पादित होने वाले कार्यों के उल्लेख सहित लिखित रुप में, डाक/कूरियर/विशेषदूत द्वारा सभी निदेशकों के पास बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व मे दी जायेगी। ऐसी सूचना अध्यक्ष के अनुमोदन से एवं मुख्य कार्यपालक के हस्ताक्षर से भेजी जायेगी। विशेष परिस्थिति में आवश्यकतानुसार अल्पविधि में भी बैठक आहूत की जा सकेगी। एतदर्थ बैठक की सूचना परिचालन द्वारा प्राप्ति रसीद लेकर तामिल की जायेगी।
2. निदेशक पर्षद की बैठक में सात निदेशकों की, जिसमें से एक मुख्य कार्यपालक भी होगा, गणपूर्ति होगी। मुख्य कार्यपालक निर्वाचन से संबंधित किसी मामले में मतदान नहीं करेंगें।

36. निदेशक पर्षद की बैठकों की आवृति :–

निदेशक पर्षद की बैठक प्रति माह होगी, और बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी। ऐसी कार्यवाही की प्रतियॉ सभी निदेशकों को भेजी जायेगी।

37. निदेशक पर्षद की शक्तियॉ और कृत्यः–

सामान्य निकाय के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन निदेशक पर्षद की निम्नलिखित शक्तियॉ और कृत्य होगेः–

1. सदस्यता, शेयरों का आवंटन या अन्तरण के आवेदनों का निपटारा करना।
2. अध्यक्ष एवं अन्य पदधारकों को निर्वाचित करना एवं पद से हटाना।
3. कर्मचारीबृन्द की संख्या निर्धारित करना एवं उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया का निर्धारण और नियुक्त करना।
4. कर्मचारियों की सेवा नियमावली अर्हता भर्ती, सेवाशर्त, दंड आदि सहित तैयार करना एवं लागू करना।
5. सदस्यों को दी जाने वाली सेवा का संगठन एवं प्रबंध करने संबंधी नीति का निर्धारण करना।
6. निधियों की अभिरक्षा एवं निवेश के ढंग की नीति का निर्धारण करना।
7. लेखा संधारण की रीति संबंधी नीति का निर्धारण करना।
8. विभिन्न निधियों के संग्रहण, उपयोग एवं निवेश के संबंध मे नीति का निर्धारण करना।
9. सूचना पद्वति की मोनिटरिंग एवं प्रबंध तथा दाखिल की जाने वाली सांविधिक विवरणी के संबंध में नीति का निर्धारण करना।
10. समिति के प्रभावी कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक अन्य विषय और मामले के संबंध में नीति का निर्धारण करना।
11. सामान्य निकाय के अनुमोदनार्थ वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक योजना और बर्जट को प्रस्तुत करना।

12. लेखा–परीक्षा एवं अनुपालन रिपोर्ट पर विचार करना और उन्हें सामान्य निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना।लेखा परीक्षक की पारिश्रमिक का निर्धारण कर सामान्य निकाय के समक्ष रखना।
13. समिति कार्यालय भवन के निर्माणार्थ आवश्यक भूमि की खरीद या पट्टा पर लिये जाने का अनुमोदन करना और भत्ते निर्धारित करना।
14. समिति की अनावश्यक भूमियों और अन्य चल एवं अचल सम्पत्तियों की बिक्री अनुमोदित करना।
15. समिति के कार्यकलापों के समुचित संचालनार्थ नियम और विनियम बनाना, जो वृतपुस्तक में अभिलिखित किये जायेंगें।
16. सामान्य निकाय द्वारा प्रत्यायोजित अन्य कार्यो को संपादित करना।

38. अध्यक्ष की शक्तियॉ एवं कृत्य :–

निदेशक पर्षद द्वारा निर्वाचित निदेशकों में से एक अध्यक्ष का चुनाव किया जायेगा। अध्यक्ष उपविधियां के अनुसारः–

i. निदेशक पर्षद की बैठकों और सामान्य निकाय की सभाओं की अध्यक्षता करेंगी।

ii. चुनाव के मामले को छोड़कर, निदेशक पर्षद या सामान्य निकाय द्वारा लिये जानेवाले निर्णय में यदि बराबर–बराबर मत होता हो तो वैसी परिस्थिति में अपना निर्णायक मत देगी।

iii. निर्धारित नीतियों मे या अंगीभूत संकल्पों मे उल्लिखित निदेशक पर्षद द्वारा प्रत्यायोजित अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी।

39. उपाध्यक्ष की शक्तियॉ एवं कृत्यः–

i. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के सभी कार्यों को निष्पादित करेगी।
ii. निदेशक पर्षद द्वारा आवंटित कार्यों का सम्पादन करेगी।

40. सचिव की शक्तियॉ एवं कृत्य :–

i. समिति के कागजातो और सम्पत्तियों का रख–रखाव करना।
ii. समिति की ओर से पत्रों पर हस्ताक्षर करना।
iii. समिति द्वारा सौंपे गये सभी कार्यों को पूरा करना।
iv. निदेशक पर्षद द्वारा अधिकृत किये जाने पर अध्यक्ष अथवा मुख्य कार्यपालक के साथ समिति के बैंक खाता का संचालन करना।

41. उपसचिव की शक्तियॉ एवं कृत्य :–

i. सचिव की अनुपस्थिति में उपसचिव, सचिव के कार्यों की निष्पादित करेगी।
ii. निदेशक पर्षद द्वारा सौपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन करेगी।

42. कोषाध्यक्ष की शक्तियॉ एवं कृत्य :–

i. समिति के सभी बैठकों में हिसाब–किताब पेश करना।
ii. समिति से संबंधित निधि की देख–रेख करना।

iii. सामुदायिक निवेश निधि की वापसी, जाँच और संग्रह करना।

iv. वित्तीय मामलों में ऋण वापसी सामाजिक ऑडिट एवं वसूली का हिसाब–किताब रखना।

v. निदेशक पर्षद द्वारा अधिकृत किये जाने पर सचिव अथवा मुख्य कार्यपालक के साथ समिति के बैंक खाता का संचालन करना।

vi. निदेशक मंडल द्वारा दिये गये अन्य कार्यों को संपादित करना।

43. मुख्य कार्यपालक की शक्तियॉं और कृत्यः–

निदेशक पर्षद के निदेशों, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए समिति का मुख्य कार्यपालक की निम्नांकित शक्तियॉं एवं कृत्य होगें :–

1. समिति के दैनिक प्रशासन की देख–रेख करना।
2. लेखाओं का समुचित संधारण कराना।
3. समिति के उदेश्यों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित भूमि भवन के लिए करार एवं ठेका के समझौते पर हस्ताक्षर करना।
4. स्थापना सामग्रियों, कार्यालय उपस्कर, फिक्सचर्स, स्टेशनरी की खरीद तथा अन्य आकस्मिक व्यय मंजूर करना।
5. विनिमय पत्र पर निकासी करना, उसे स्वीकृत करना, उसे पृष्ठांकित करना तथा उस पर लेन–देन करना और शेयर एवं सरकारी प्रतिभूतियों का पृष्ठांकन, उनकी विक्री अन्तरण या अन्यथा निबटारा करना।
6. निदेशक पर्षद के निर्देशानुसार सामान्य निकाय की आमसभाओं और निदेशक पर्षद की बैठकों के लिए सूचना निर्गत करना, सभा/बैठक का आयोजन एवं कार्यवाही तैयार करना।
7. समिति के कार्मिकों पर नियंत्रण रखना।
8. समिति की ओर से किसी भी सरकारी/गैर सरकारी/बैंक/निजी/वित्तीय संस्था के साथ ऋण लेने हेतु सभी कागजात या समझौता पत्र या समिति के नाम से जमीन/भवन/पट्टा आदि किसी भी प्रकार का खरीदगी पत्र हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत होंगे।

44. सदस्यों के हितों के विरुद्व कार्य करने तथा सदस्यों, निदेशकों और कर्मचारियों द्वारा कर्तव्यों को पूरा न करने के लिए शास्तियॉं :–

1. सामान्य निकाय द्वारा किसी सदस्य को सौपे गये कर्तव्यों को पूरा नही करने पर ऐसे सदस्य के विरुद्व सामान्य निकाय द्वारा समुचित कार्रवाई की जा सकेगी।
2. यदि निदेशक पर्षद सदस्यों के हितों के विरुद्व कार्य करे और उपविधि संख्या–37 में निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ हो तो सामान्य निकाय द्वारा ऐसी निदेशक पर्षद को उसके कार्यकाल के पाँच वर्ष पूरा होने से पहले भी भंग करने पर विचार किया जा सकता है और नयी निदेशक पर्षद का गठन किया जा सकता है।
3. यदि निदेशक पर्षद या कोई निदेशक ऐसा कोई कार्य करे जो अधिनियम की धारा–42 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अपराध की श्रेणी में आता हो तो वह उसी धारा के अनुसार दंड का भागी होगी।
4. जानबूझकर की गई किसी लापरवाही या बेईमानी के कारण सम्पत्ति की जो हानि होगी उसके लिए निदेशक व्यक्तिगत रूप से एवं पृथक रूप से जिम्मेवार होंगी।

5. यदि कोई कर्मचारी अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करे तो वह समिति की कार्मिकों की सेवा नियमावली में विहित प्रावधानानुसार/निदेशक पर्षद के निर्णयानुसार दंड का भागी होगा।

45. लेखों तथा अभिलेखों का संधारण :–

1. समिति अपने निबंधित कार्यालय में निम्नांकित लेखाओं और अभिलेखों को रखेगी।
   क. समय–समय पर किये गये संशोधनों सहित बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 बिहार अधिनियम 2, 1997) की प्रति।
   ख. कार्यवृत पुस्त (सामान्य निकाय की सभाओं एवं निदेशक पर्षद की बैठकों की अपना–अपना)
   ग. निबंधन प्रमाण पत्र तथा निबंधित उपविधियॉ की एक प्रति और संशोधन की तारीख सहित समय–समय पर निबंधित संशोधनों की एक प्रति।
   घ. सम्बद्व परिसंघ/संघ की अभिप्रमाणित उपविधियों की एक–एक प्रति।
   ड. समिति द्वारा प्राप्त तथा खर्च की गई सभी धनराशि उनके प्रयोजनों सहित का लेखा।
   च. समिति द्वारा सामानों की सभी खरीद–बिक्री का लेखा।
   छ. समिति की सम्पतियों तथा दायित्वों का लेखा।
   ज. सदस्य पंजी (खरीद गई शेयर पूंजी का लेखा, सदस्यों का पूरा पता सहित)।
   झ. विभिन्न सेवाओं का सदस्यवार उपयोग प्रदर्शित करने वाली पंजी।
   ट. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीस दिनों के अन्दर अद्यतन की गई चालू वर्ष के लिए मताधिकार प्राप्त सदस्यों की सूची।
   ठ. निदेशक पर्षद की नीतियों की प्रतियॉ।
   ड. वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षा रिपोर्ट, विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट, जॉच रिपोर्ट की प्रतियॉ तथा उनका अनुपालन प्रतिवेदन।
   ढ. अन्य विधियों तथा विनियमों की प्रतियॉ, जिनके अधीन समिति हो।
2. अधिनियम, नियमावली उपविधियॉ, कार्यवृत पुस्तक, मतदाता सूची तथा किसी सदस्य से संबंधित लेखाओं की प्रतियॉ समिति द्वारा निर्धारित फीस पर कार्य दिवस में कार्यालय अवधि के दौरान किसी भी सदस्य को उपलब्ध करायी जायेगी।
3. समर्थनकारी अभिलेखों तथा भाउचरों सहित समिति की लेखा पुस्तकें दस वर्षो के लिए परिरक्षित की जायेगी।

46. लेखा–परीक्षा, लेखा–परीक्षकों की नियुक्ति और उनकी भूमिका तथा लेखा–परीक्षा संचालित करने की प्रक्रिया, और लेखा–परीक्षा अनुपालन की समय सीमा :–

1. समिति अपने लेखाओं की लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार वित्तीय वर्ष समाप्ति के छः माह के भीतर राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा अनुमोदित पैनल से सामान्य निकाय द्वारा चयनित लेखा–परीक्षक द्वारा करायेगी। यदि समिति समय पर अपने वार्षिक लेखाओं की लेखा–परीक्षा कराने में असफल हो तो लेखा–परीक्षा के लिए नियत तारीख से नब्बे दिनों के भीतर लेखा–परीक्षा कराना परिसंघ का उत्तरदायित्व होगा। यदि परिसंघ भी लेखा–परीक्षा करा पाने में असमर्थ हो तो निबंधक लेखाओं की लेखा–परीक्षा करायेगें।

2. परिसंघ या निबंधक द्वारा लेखा–परीक्षा कराये जाने की स्थिति में भी लेखा–परीक्षा कराने का खर्च समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
3. लेखा–परीक्षक को समिति के वर्त्तमान या पूर्व अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक, निदेशकों, सदस्य या कर्मचारी से ऐसी सूचना और ऐसा स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार होगा जैसा कि आवश्यक समझा जाय और उसे समिति के प्रत्येक ऐसे अभिलेखों, दस्तावेजों, बहियों, लेंखाओं और भाउचरों को देखने दिया जायेगा जो उसकी राय में जॉच करने और रिपोर्ट तैयार करने में उसे समर्थ होने के लिए आवश्यक हो।
4. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पैंतालिस दिनों के अन्दर वार्षिक वित्तीय विवरणी को तैयार कर लेखा–परीक्षा हेतु प्रस्तुत कर दिया जाना निदेशक पर्षद का कर्तव्य होगा। लेखा परीक्षण की रिपोर्ट के अलावे बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति, निदेशकों द्वारा अन्य सहकारी समितियों तथा गैर–सदस्यों को मंजूर किये गये श्रम एवं अग्रिम या सहकारी समितियों या गैर–सदस्यों के साथ किये गये कारबार, निदेशक पर्षद की बैठकों पर हुए व्यय, निदेशकों को भुगतान किये गये पारिश्रमिक, निदेशकों को प्रतिपूर्ति, किए गए व्यय, सदस्यों, स्टाफ निदेशकों तथा अन्य की शिक्षा और प्रशिक्षण पर हुए व्यय से सम्बद्व रिपोर्ट भी अन्तर्विष्ट होगी।
5. लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में दर्शायी गयी त्रुटियों का निराकरण तीस दिनों के अन्दर करना समिति के लिए अनिवार्य होगा। लेखाओं को लेखा–परीक्षित विवरणी तथा लेखा–परीक्षा अनुपालन रिपोर्ट वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर समिति द्वारा निबंधक के समक्ष दाखिल कर दिया जायेगा।

47. वार्षिक लेखा विवरणियॉ दाखिल करना :–

समिति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर, निबंधक के समक्ष वार्षिक लेखा विवरणियाँ दाखिल करेगी जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल होंगें:–

(क) कार्यकलापों का वार्षिक रिपोर्ट
(ख) लेखाओं का लेखा परीक्षा विवरण
(ग) सामान्य निकाय द्वारा यथानुमोदित अधिशेष निपटान हेतु योजना
(घ) सहकारी समिति की उपविधियों में किये गये संशोधन की सूची, यदि कोई हो
(ङ) निर्वाचन, यदि नियत हो, के संचालन और सामान्य निकाय की सभा के आयोजन की तारीख से संबंधित घोषणा
(च) निबंधक द्वारा अधिसूचित अथवा मांगी गई कोई अन्य सूचना जो अधिनियम के किसी प्रावधान के पालन हेतु आवश्यक हो।

48. विशेष लेखा–परीक्षा :–

अधिनियम की धारा–34 के अधीन समिति की विशेष लेखा–परीक्षा हो सकेगी।

49. समिति की ओर से दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने तथा वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों के दायर करने एवं प्रतीक्षा करने के लिए पदधारी या पदधारियों को प्राधिकृत करना :–

1. समिति के बैंक खाते का परिचालन अध्यक्ष, सचिव, उपसचिव, कोषाध्यक्ष या कोई एक निदेशक (जिसे निदेशक पर्षद अधिकृत करे) में से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

2. समिति की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने, वादों एवं अन्य विधिक कार्यवाहियों के दायर करने तथा प्रतिरक्षा करने के लिए समिति की सचिव/मुख्य कार्यपालक प्राधिकृत रहेगें।

50. परिसमापनाधीन होने पर निधियों के निपटारा की रीति :–

समिति के परिसमापनाधीन होने पर परिसमापक समिति की सम्पति एवं निधियों के निपटारा की ऐसी रीति अपना सकेगा, जो अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए आवश्यक समझें।

51. समिति का लेखा : समिति की लेखा हेतु लेखा वर्ष पहली अप्रैल से प्रारंभ होगी तथा 31 मार्च को समाप्त होगी :–

52. किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर नाम निर्देशिति (Nominee) के नाम शेयरों एवं हितों का अन्तरण :–

समिति का कोई सदस्य अपने हाथ से लिखकर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम निर्देशित मनोनित कर सकेगा, जिसे उसकी मृत्यु के बाद समिति में निहित उसका पूरा हित और शेयर या उसका कोई भाग अंतरित किया जायेगा। ऐसा नाम निदेर्शित व्यक्ति का पूरा नाम एवं पता समिति के अभिलेख में दर्ज कर लिया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति नाम निर्देशित (Nominate) नहीं किया गया है तो सदस्य की वैध उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को ऐसी राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

53. ऋण वितरण के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन एक ऋण नियमावली निदेशक पर्षद द्वारा बनायी जायेगी, जिसे सामान्य निकाय के अनुमोदन से लागू किया जायेगा।

54. सामान्य निकाय की सभा द्वारा यथा विनिश्चत समिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं तथा अन्य कमजोर वर्गों के स्वावलम्बी समूहों को संगठित करेगी, उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं सुदढ़ीकरण के कार्यक्रम संचालित करेगी और अन्य ऐसे विशेष उपाय करेगी जो उनकी आर्थिक बेहतरी के प्रयोजन की सिद्धि की अनुषंगी हों।

55. विवाद :–

1. यदि समिति का सम्बद्ध परिसंघ के साथ विवाद उत्पन्न हो तो ऐसे विवादों के निपटारा हेतु सहकारी अधिकरण को भेजा जायेगा। परंतु यदि किसी अन्य सहकारी समिति के साथ विवाद उत्पन्न हो तो ऐसे विवादों को तबतक सहकारी अधिकरण के पास नहीं भेजा जायेगा जब तक कि परिसंघ/संघ के मार्गदर्शन एवं सहायता से ऐसे विवादों का निपटारा हेतु सभी संभव उपचारों को निःशेष नहीं कर लिया जाय।
2. यदि समिति की सदस्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो तो निदेशक पर्षद, उसके असफल रहने पर आम सभा और उसके असफल रहने पर परिसंघ/संघ द्वारा किया जायेगा।
ऐसे उपायों/उपचारों के बावजूद यदि विवादों का निपटारा न हो सके तो उसे निपटारा हेतु सहकारी अधिकरण को भेजा जायेगा।

56. समिति के विघटन की रीतिः– अधिनियम की धारा 44, 45, 46, 47 एवं 48 के अधीन विघटन हो सकेगा :–

57. ऐसे सभी विषयों का, जिनका इस उपविधियों में विशेष रूप से उपबंध नहीं किया गया हो, बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (बिहार अधिनियम 2,1997) समय–समय पर यथा संशोधित, के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रवर्तक सदस्यों की बैठक दिनांक ..... में अंगीकृत उपविधियां की सच्ची प्रति है, जिसमें प्रमाणस्वरूप हम अधोहस्ताक्षरी सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया है:–

क्र0सं.	प्रवर्त्तक सदस्य का नाम	हस्ताक्षर/अंगूठा निशान
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		

29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		
36.		
37.		
38.		
39.		
40.		
41.		
42.		

पृष्ठ संख्या ..... से .....पर अंकित क्रमांक ..... से ..... पर प्रवर्तक सदस्यों का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान अभिप्रमाणित।

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रवर्तक सदस्यों की बैठक में अंगीकृत उपविधियॉ की सच्ची प्रतिलिपि है।

मुख्य प्रवर्त्तक